

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य-29/10-11/...../राँची, दिनांक:

प्रेषक:

ई. मुक्तिसाधन चौरसिया,
उप सचिव (अभि.)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो.-हिन्तू राँची।

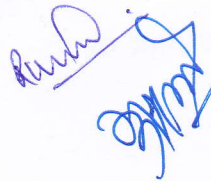
द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में सतही सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु
रु. 94.00 लाख (रुपये चौरान्चे लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में सतही सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु रु. 94.00 लाख (रुपये चौरान्चे लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति परिशिष्ट-I के अनुरूप प्रदान की जाती है।
3. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची/खूँटी/लोहरदगा/गुमला/सिमडेगा/चाईबासा/सरायकेला/जमशेदपुर/मेदिनीनगर/बोकारो/धनबाद/कोडरमा/हुसैनबाद/गढ़वा/लातेहार/हजारीबाग/रामगढ़/चतरा/दुमका/जामताड़ा/गिरिडीह/साहेबगंज/गोड्डा/पाकुड़ एवं लघु सिंचाई, रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर एवं नियंत्रण पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका होंगे।
4. प्रस्तावित कार्य की कुल राशि रु. 94.00 लाख है जिसका व्यय निम्नरूप से प्रस्तावित है—
(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत प्रस्तावित कुल रु. 47.00 लाख मात्र का व्यय बजट शीर्ष "4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-31-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध रु. 50.00 लाख के अधीन भारित होगा।
(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत प्रस्तावित कुल रु. 47.00 लाख मात्र का व्यय बजट शीर्ष "4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-101-सतही जल-31-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध रु. 50.00 लाख के अधीन भारित होगा।
5. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण किया जाना है।
6. इस कार्य का दायित्व संबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी एवं संबंधित जांच/समीक्षा करने वाले पदाधिकारी की होगी।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. प्रस्ताव पर माननीय प्रधान सचिव महोदय (जल संसाधन) का अनुमोदन प्राप्त है।
9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
10. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जायेगा।

अनु: यथोक्त।



झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य-29/10-11/...../राँची, दिनांक:
प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु: यथोक्त।

ह0/-

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य-29/10-11/...../राँची, दिनांक:
प्रतिलिपि: संबंधित सभी कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु: यथोक्त।

ह0/-

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य-29/10-11/...../राँची, दिनांक:
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु: यथोक्त।

ह0/-

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य-29/10-11/...../राँची, दिनांक:प्रतिलिपि:
आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/संथालपरगना प्रमंडल, दुमका/कोल्हान प्रमंडल चाईबासा एवं पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु: यथोक्त।

ह0/-

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य-29/10-11/...../राँची, दिनांक:
प्रतिलिपि: सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु: यथोक्त।

ह0/-

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य-29/10-11/...../राँची, दिनांक:
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय (जल संसाधन) के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु: यथोक्त।

ह0/-

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य-29/10-11/...../राँची, दिनांक: 29.06.2017
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव (अभि.)

29/06/17

लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के अधीन सतही सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव की विवरणी

प्रमंडलवार सर्वेक्षण कार्य हेतु निधि की विवरणी

क्र०	प्रमंडल का नाम	प्रस्तावित राशि	अभियुक्ति
		(लाख रुपये में)	
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी	4.0	TSP
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा	3.0	TSP
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला	4.0	TSP
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा	3.0	TSP
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा	4.0	TSP
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला- खरसावा	3.0	TSP
7	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर	4.0	TSP
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार	4.0	TSP
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका	4.0	TSP
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा	3.0	TSP
11	लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज	3.0	TSP
12	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़	3.0	TSP
13	लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची	5.0	TSP
योग		47.0	
14	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा	4.0	OSP
15	लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद	4.0	OSP
16	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग	4.0	OSP
17	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़	4.0	OSP
18	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा	3.0	OSP
19	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरीडीह	4.0	OSP
20	लघु सिंचाई रुपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर	4.0	OSP
21	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा	4.0	OSP
22	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	4.0	OSP
23	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा	4.0	OSP
24	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद	4.0	OSP
25	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो	4.0	OSP
योग		47.0	
सकल योग		94.0	

(रुपये चौरान्चे लाख मात्र)

